पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2159
दिनांक 03.09.2025

जोन पश्चिमी / थाना चौक

- थाना चौक पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना चौक पुलिस द्वारा एनबीडब्ल्यू वाद सं0-7488/13 अ0सं0-322/91 धारा 3/25A एक्ट थाना चौक लखनऊ से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ राजू पुत्र देवी प्रसाद निवासी सराय न्यू थाना इंटौजा लखनऊ उम्र करीब 54 वर्ष को दिनांक 02.09.2025 को अभियुक्त के निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्या0 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-सम्बन्धित वाद संख्या-

1.एनबीडब्ल्यू वाद सं0-7488/13 अ0सं0-322/91 धारा 3/25A एक्ट थाना चौक जनपद लखनऊ ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मनोज कुमार उर्फ राजू पुत्र देवी प्रसाद निवासी सराय न्यू थाना इंटौजा लखनऊ उम्र करीब 54 वर्ष

04-गिरफ्तार कर्ता टीम का विवरण-

1. उ0नि0 गौरव बाजपेई चौकी प्रभारी नक्खास थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. का0 संदीप थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2164

दिनांक-03.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **काकोरी पुलिस टीम द्वारा भैंस चोरी से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद पिकअप डाला व 5150 रूपये बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.08.2025 को वादी सिरदा पुत्र शाहरूख निवासी नरौना थाना काकोरी लखनऊ के द्वारा 03 भैंस चोरी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 281/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम आशिफ आदि 03 नफर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। भैंस चोरी से सम्बन्धित अभियुक्तो के बारे में मैनुअल व टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर जानकारी की जा रही है।

मैनुअल व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर नामित अभियुक्त आशिफ पुत्र नब्बा निवासी मछली मण्डी थाना दुबग्गा लखनऊ की गिफ्तारी हेतु चिलौली अण्डरपास के पास चेंकिग की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. आशिफ पुत्र नब्बा निवासी मछली मण्डी थाना दुबग्गा लखनऊ 2. इमरान पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मुर्दापुर शाहपुर भमरौली थाना दुबग्गा लखनऊ 3. मो0 हफीज उर्फ नन्हा पुत्र स्व0 आजाद निवासी हाजी कालोनी गद्दी बगिया थाना दुबग्गा लखनऊ को गिरफ्तार करते हुए कढाई से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम लोगो के द्वारा ग्राम नरौना से भैसे चोरी की गयी थी अभियुक्तगणो के पास से भैसों को बाधने वाली रस्सी, हथौडा व जामातलाशी से कुल 5150 रुपये बरामद हुए एवं पास में खडे पिकअप डाला UP 32 LN 4082 के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया की डाले से भैंसो को चोरी कर लादकर ले जाने में प्रयोग करते है। अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्य के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2)/317(2)/313/112 बी0एन0एस0 बढोत्तरी करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. इमरान पुत्र हकीमुद्दीन निवासी मुर्दापुर शाहपुर भमरौली थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. आशिफ पुत्र नब्बा निवासी मछली मण्डी थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।
3. मो0 हफीज उर्फ नन्हा पुत्र स्व0 आजाद निवासी हाजी कालोनी गद्दी बगिया थाना दुबग्गा लखनऊ उम्र 21 वर्ष

04-बरामदगी:-

- 01 अदद पिकअप डाला वाहन UP 32 LN 4082।
- अभियुक्तगण के पास से 5150 रूपये बरामद
- भैसो को बाँधने की 03 अदद रस्सी 01 अदद हथौडा।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री सावन्त कुशवाहा कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री शिवम बिधूडी कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री सुशील कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
5. हे0का0 इरशाद अंसारी कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
6. का0 विवेक कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2160
दिनांक- 03.09.2025

जोन- पश्चिमी / थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा फर्जी आई0ए0एस0 अधिकारी / शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **कब्जे से 06 अदद चार पहिया वाहन, लैपटाप तथा अन्य कूटरचित/फर्जी दस्तावेजों बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण:-

उच्चाधिकारीगणों द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज लखनऊ के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा कारगिल पार्क के निकट चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान **एक वाहन नं. UP 16 DP 2828** को रोका गया तो वाहन के पीछे सीट पर बैठे व्यक्ति द्वारा गाडी के शीशा को डाउन कर रोब दिखाते हुए वताया गया कि मैं आईएएस अधिकारी हूँ साथ ही व्यक्ति द्वारा अपना पहचान पत्र व विजिटिंग कार्ड भी दिखाया गया। उक्त गाडी में झांककर देखा गया तो पाया कि गाडी के अन्दर दो अदद लाल नीली बत्ती लाईट रखी है। जिनके गाडी के अन्दर रखे होने के औचित्य के बारे में उक्त व्यक्ति से पूछा गया तो वह व्यक्ति सशंकित होकर अपनी सफाई देने लगा संदिग्धता परिलक्षित होने पर गहनता से पूछताछ करने पर व्यक्ति देश/प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीगण का नाम गिनाते हुए देख लेने की धमकी देते हुए इधर-उधर झांकने लगा।

गहनता से पूछताछ करते हुए वाहन पर सवार व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो वाहन के पीछे सीट पर वैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम सौरभ त्रिपाठी पुत्र डा0 विनोद कुमार तिवारी उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ए-101– गरिमा विहार सेक्टर 35 नोएडा थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्ध नगर, वर्तमान पता बी-1 -1301 बिलगेडियर कोट-1 शालीमार वन वर्ड गोमती नगर विस्तार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ, मूल निवासी नियर फातिमा अस्पताल इमलिया मऊ बीटीसी स्कूल के सामने थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ बताया ।

उक्त व्यक्ति के पास से बरामद वाहनो पर लगे हुए वाहन पास के बारे में सम्बन्धित विभाग से जरिये दूरभाष जानकारी की गयी तो सभी पास फर्जी एवं कूटरचित पाये गये जो उक्त व्यक्ति द्वारा स्वतः तैयार किये गये तथा पासो का कूटरचित स्वीकार किया जाना बताया गया तथा उक्त व्यक्ति से बरामद गाडियो के प्रपत्र मांगने पर दिखाने से कासिर रहा ,उक्त व्यक्ति के आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस व पूछताछ के दौरान बताये गये नाम पता में भिन्नता पायी गयी, जो सही प्रतीत नही हुई , उक्त व्यक्ति से उसके पास मौजूद सामान एवं उसके संबंध में की गयी पूछताछ से ये पूर्ण विश्वास होने पर कि यह व्यक्ति कोई आईएएस आफिसर नही बल्कि फर्जी व्यक्ति है जो कि कूटरचित सचिवालय पास कूटरचित आईएएस का परिचय पत्र तथा विजिटिंग कार्ड एवं एनआईसी की फर्जी मेल आईडी बनाकर उसका प्रयोग कर भिन्न–भिन्न प्रदेशो के विभिन्न जिलो में अनुचित आर्थिक लाभ, आदि प्राप्त किया गया।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज लखनऊ
2. श्री सतीशचन्द्र मिश्रा वरि0 उ0नि0 थाना वजीरगंज लखनऊ
3. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह थाना वजीरगंज लखनऊ
4. उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थाना वजीरगंज लखनऊ
5. मुख्य आरक्षी चालक विनय कुमार पाण्डेय थाना वजीरगंज लखनऊ
6. का0 संतोष कुमार थाना वजीरगंज ल खनऊ
7. का0 रोहित पासवान थाना वजीरगंज लखनऊ
8. का0 गुलशन कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2158
दिनांक-03.09.2025

जोन- पूर्वी / थाना- विभूतिखण्ड

- **पुलिस उपायुक्त पूर्वी की क्राइम व थाना विभूतिखण्ड पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 03 शातिर वाहन चोर / अभियुक्तो को किया गया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद चार पहिया वाहन बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना विभूतिखण्ड पर दिनांक 30.08.2025 को वादी मुकदमा राशिद पुत्र सहीद नरूला निवासी ग्राम मटियारी निकट हंस हार्डवेयर थाना चिनहट लखनऊ की तहरीरी सूचना बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के गैराज का ताला खोलकर गाड़ी सं0- UP32JV5898 FORD ASPIRE काले रंग की व गाड़ी सं0-UP32AQ5461 HUNDAI ACCENT सफेद रंग व 02 अदद मोबाइल फोन चोरी होने विषयक के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0324/2025 धारा 305(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

उक्त घटना के अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण महोदय के निर्देशन में तत्काल टीमों का गठन किया गया, गठित टीमों द्वारा टेक्निकल व मैनुअल प्रयासों से घटना में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्तों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विनम्रखण्ड, लखनऊ थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 02 अदद कार क्रमशः हुंडई एक्सेंट व फोर्ड फिगो फ्रीस्टाइल बरामद किया गया।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि गैराज मालिक से हमारा पैसों को लेकर विवाद था जिसे सबक सिखाने के लिये हम लोगों से उनके गैराज से गाड़ी चोरी की थी। साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। पकड़े गये अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्तों का गैराज मालिक से उधार व एडवांस रुपयों को लेकर विवाद जिस कारण अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गैराज मालिक को सबक सिखाने के चक्कर में उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. सैफवान सिद्धिकी उर्फ़ सैफू पुत्र हारून सिद्धिकी निवासी हाल पता- पप्पू होटल के सामने सतरिख रोड थाना चिनहट लखनऊ उम्र 19 वर्ष
2. सरफराज अहमद पुत्र अब्दुल लतीफ़ निवासी ग्राम सरैया रसूलपुर थाना तालगाँव जनपद सीतापुर उम्र 29 वर्ष
3. मोहम्मद नियाज़ पुत्र फक्रुद्दीन निवासी पप्पू होटल के सामने सतरिक रोड थाना चिनहट लखनऊ उम्र 20 वर्ष

04-बरामदगी-

- 01 अदद हुंडई एक्सेंट कार, बारंग सफ़ेद, इंजन नम्बर D3FAGM136984, चेसिस नम्बर MALA841DLGM200316G, वाहन संख्या UP33AQ5461
- 01 अदद फोर्ड फिगो फ्रीस्टाइल कार, बारंग काला, चेसिस नम्बर, MAJGXXMTKGJU81477 वाहन संख्या UP32JV5898

05-अनावरित अभियोगों का विवरण:

1. मु.अ.सं. 0324/2025 धारा 305(1)/317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

पुलिस उपायुक्त पूर्वी की क्राइम टीम	थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम
1. उ.नि. श्री अमरनाथ चौरसिया, 2. हे.का. संदीप पाण्डेय, 3. कां. तरनजीत सिंह, 4. कां. विमल चंद पाल, 5. कां. अजय यादव, 6. कां. प्रदीप कुमार, 7. कां. शिवानन्द खरवार	1. उ०नि० श्री संदीप सिंह गौर 2. उ०नि० श्री आसित यादव, 3. उ0नि0 श्री राजेश कुमार, 4. उ०नि० श्री सिद्धान्त सिंह, 5. हे0 का० जितेन्द्र प्रताप व 6. का० आशीष यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2162
दिनांक 30/08/2025

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- कृष्णानगर, आलमबाग, सरोजनीनगर के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0 सं0	थाना	नामपता विपक्षी जो जिलाबदर हुये	जिला बदर की अवधि
1	कृष्णानगर	ध्रुव नारायण यादव उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र भृगराशन यादव निवासी-19बी मानसनगर विजयनगर, थाना-कृष्णानगर, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
2	कृष्णानगर	कृपाशंकर शुक्ला उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र स्व0 रामचन्द्र शुक्ला निवासी-आशाराम बापू रोड, विजयनगर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
3	आलमबाग	वीरेन्द्र यादव उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी-283/303क आरतीनगर, गढ़ी कनौरा, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)
4	सरोजनीनगर	अभिमन्यु राजपूत उर्फ मन्ना लोधी उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र बच्चू लाल राजपूत निवासी-दरोगा खेडा, थाना सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ	06 माह (जिलाबदर)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 2161
दिनांकः-03.09.2025

- **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाया गया महिला बीट अभियान।**

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ श्री बबलू कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस कमिश्नरेट के सभी जोन में महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष महिला बीट अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा स्कूल, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, मुख्य मार्गों, चौराहों आदि पर महिला सशक्तिकरण हेतु / महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गईं, जैसे कि 1090 महिला हेल्पलाइन,112 आपातकालीन सेवा और महिला पावर लाइन जैसी सेवाओं के बारे में व छात्र/छात्राओ को गुड टच/बैड टच के बारे में विस्तार से बताया गया

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना है।

जोन-पूर्वी

01-जोन पूर्वी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

- थाना गुडम्बा म0उ0नि0 प्रगति देवी, म0का0 ज्योति यादव व म0का0 सीनू पुलिस टीम द्वारा थाना गुडम्बा क्षेत्रान्तर्गत सेंट मैरी तिराहा पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना इन्दिरानगर म0का0 मंयक कुमारी, म0का0 नम्रता सचान व म0का0 रेखा कुमारी पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरानगर क्षेत्रान्तर्गत सुघामऊ व रसूलपुर सादात महिला बीट में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना चिनहट म0हे0का0 अमरावती दुबे व म0का0 हेमलता पुलिस टीम द्वारा थाना चिनहट क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वस्थ केन्द्र चिनहट पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना गोमतीनगर विस्तार म0का0 नीलम, म0का0 स्वाती व म0का0 सारिता वाथम पुलिस टीम द्वारा थाना गोमतीनगर विस्तार क्षेत्रान्तर्गत बेसिक विद्यालय मलेसेमऊ पर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना विकासनगर म0का0 पुष्पा व म0का0 सरिता पुलिस टीम थाना विकास नगर द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सब्जी मण्डी में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जोन-पश्चिमी

02-जोन-पश्चिमी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना तालकटोरा में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला डिग्री कॉलेज में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना कैसरबाग में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना काकोरी में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा सासुदायिक केन्द्र में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना अमीनाबाद में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा महिला डिग्री कॉलेज में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना ठाकुरगंज में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा सतखंडा के आसपास में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना चौक में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा खुन-खुन जी पी.जी कॉलेज में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना दुबग्गा में महिला बीट आरक्षी/उपनिरीक्षक द्वारा ग्राम अमेठिया सलेमपुर में महिलाएं/युवतियों को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।

जोन-मध्य

03-जोन-मध्य के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना हजरतगंज में महिला बीट कर्मचारियों द्वारा रिवर फ्रंट, नेशनल PG कालेज व भीमराव अम्बेडकर पार्क बालू अड्डा के पास छात्राओं व महिलाओं को महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना महानगर की महिला बीट कर्मचारियों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओ से सम्पर्क कर महिला बीट अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया।
- थाना आशियाना की महिला बीट कर्मचारियों द्वारा पिरियम पार्क चौकी रमाबाई व जोनर पार्क चौकी LDA के पास महिलाओ व छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- थाना आलमबाग की महिला बीट कर्मचारियों द्वारा इको गार्डन बीट कैलाशपुरी में चौपाल लगाकर महिलाओ व छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जोन- उत्तरी

04-जोन-उत्तरी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना अलीगंज म0उ0नि0 आशी गुप्ता और थाना अलीगंज के अन्य महिला कर्मचारी पुलिस टीम द्वारा थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत आईटीआई कॉलेज नीरा तिराहा अलीगंज लखनऊ में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना महिला थाना-2 म0का0 सीमा कुमारी,म0का0 ज्योति सिंह, म0का0 रेनू राय महिला थाना द्वितीय पुलिस टीम द्वारा थाना महिला थाना-2 क्षेत्रान्तर्गत चौराहे बाजारो में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- थाना इटौंजा म0उ0नि0 सुश्री सारिका गुप्ता व पुलिस टीम द्वारा थाना इटौंजा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर राजा के पंचायत सहायक राधा बृजकुमारी से समन्वय स्थापित कर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना मलिहाबाद म0उ0नि0 मनीषा पाठक व थाना मलिहाबाद की पुलिस टीम द्वारा थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत चौराहे बाजारो व बैंक के बाहर महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जोन-दक्षिणी

05-जोन-दक्षिणी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- थाना कृष्णानगर पर नियुक्त म0उ0नि0 ऋद्धि मिश्रा म0उ0नि0 निशा, उ0नि0 ज्ञानेश्वर म0का0 स्नेहलता द्वारा पॉलिटेकनिक कॉलेज कृष्णानगर में जाकर 70-80 विद्यार्थियों को में महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना निगोहां पर नियुक्त म0उ0नि0 गायत्री, म0का0 सीमा पाठक, द्वारा ग्राम टिकरा मजरा मस्तीपुर पंचायत भवन में लगभग 35 महिला एवं पुरुषो को महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना बन्थरा पर नियुक्त म0उ0नि0 गुलाबकली, म0उ0नि0 नेहा, म0का0 सावित्री द्वारा ग्राम औरांवा में लगभग 7-8 महिला एवं पुरुषो को महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना पीजीआई पर नियुक्त म0हे0का0 मनोरमा उपाध्याय, म0हे0का पूजा सिंह, म0का0 ज्योति म0का0 सरिता यादव द्वारा ग्राम कल्ली पश्चिम आंगनबाडी व प्राथमिक विद्यालय में लगभग 30-40 छोटे बच्चो को महिला बीट अभियान के अंतर्गत गुड टच-बैड टच के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना मोहनलालगंज पर नियुक्त म0उ0नि0 आकांक्षा, म0उ0नि0 मेघा, म0का0 आकांक्षा मिश्रा, म0का0 साधना द्वारा राजकीय हाई स्कूल सिसेंडी में लगभग 70 बालिकाओ एवं शिक्षको को महिला बीट अभियान के अंतर्गत साइबर क्राइम, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ आदि के बारे में,जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना गोसाईगंज पर नियुक्त म0उ0नि0 सोनम, उ0नि0 शुभम सिंह , म0का0 दीपा चौधरी, का0 रंजीत द्वारा लाला गणेश इण्टर कॉलेज कस्बा गोसाईगंज में लगभग 500-600 विद्यार्थियों एवं शिक्षको को महिला बीट अभियान के अंतर्गत साइबर क्राइम, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर, पिंक बूथ के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा ग्राम माती में लगभग 80-90 महिलाओं एवं पुरुषो को महिला बीट अभियान के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन,विभिन्न तरीके के साइबर व आनलाइन फ्रॉड संबंधित जानकारी दी गयी।
- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर नियुक्त म0का0, ज्योति राघव, म0का0 मनी त्रिवेदी, म0का0 रुबी द्वारा पिंक बूथ 27 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर जाकर 7-8 महिलाओ को महिला बीट अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2163
दिनांकः-03.09.2025

जोन- उत्तरी

- **जोन उत्तरी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाया गया विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान।**

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लखनऊ श्री बबलू कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त उत्तरी लखनऊ श्री गोपाल कृष्ण चौधरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी श्री जितेन्द्र कुमार दुबे के निर्देशन में उत्तरी जोन में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा नगर निगम की टीमों की सहायता से भीड़-भाड़ वाले स्थानों, मुख्य मार्गों, चौराहों आदि पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी। इस दौरान जोन उत्तरी के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

- थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा मामा चौराहे पर अतिक्रमण हटवाया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2165
दिनांक-03.09.2025

जोन-पश्चिमी/थाना काकोरी

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना काकोरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 307 भादवि के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (अपराध) व श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा श्री शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी लखनऊ के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का0 संजय सिंह के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पी0सी0-02 महोदय लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 03.09.2025 सम्बन्धित, मु0अ0सं0 173/2011 वाद संख्या 1091/2011 धारा 307 भादवि थाना काकोरी जनपद लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त 1. शीतला लोध पुत्र चुन्नीलाल निवासी जलियामऊ थाना काकोरी लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 307 भादवि के अपराध में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा-

- शीतला लोध पुत्र चुन्नीलाल निवासी जलियामऊ थाना काकोरी लखनऊ

संक्षिप्त विवरण -

मुकदमा वादी श्री रामरतन पुत्र अंगनू प्रसाद निवासी जलियामऊ थाना काकोरी जनपद लखनऊ के द्वारा दिनांक 12.05.2011 को अभियुक्त शीतला को ट्रैक्टर चोरी करने से रोकने पर चाकू से वादी के पिता व भतीजी को जानलेवा हमला कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 173/2011 धारा 307 भादवि थाना काकोरी जनपद लखनऊ बनाम शीतला लोध उपरोक्त पंजीकृत किया गया था तत्कालीन विवेचक श्री अम्बिका प्रसाद सिंह व द्वारा विवेचना में साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त शीतला लोध पुत्र चुन्नीलाल अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 23.05.2011 को आरोप पत्र किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन था मुकदमा उपरोक्त में सजा दिलाने में वादी मुकदमा,पीडित, विवेचक व अभियोजन पक्ष पैरोकार के द्वारा अहम भूमिका निभायी गयी।

मान्नीय न्यायालय स्पेशल जज पी0सी0-02 द्वारा दिनांक 03.09.2025 को अभियुक्त शीतला लोध पुत्र चुन्नीलाल निवासी जलियामऊ थाना काकोरी लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 307 भादवि के अपराध में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

पैरवीकर्ता-

01. प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी लखनऊ
02. पैरोकार का0 संजय सिंह थाना काकोरी लखनऊ